COURT FEE INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

CF 1152

न्यायालयमाननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक R 1294-III/2006 /2006 निगरानी

श्रीम्बिकाप्रसाद पुत्र श्री रामखेलावन ब्रा०
निवासी ग्राम पतौरा, तहसील नागौद
उचेहरा, जिला सतना, म०प्र० -- प्रार्थी

विरुद्ध

श्री शिवप्रसाद पुत्र श्री रामसिया ब्रा०
साकिन पतौरा, तहसील उचेहरा, जिला
सतना, म०प्र० -- प्रतिप्रार्थी

18/8/06

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय, रीवा संभाग, दिनांक ३-०८-२००६ अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू राजस्व संहिता, १९५९। प्रकरण क्रमांक ७७/२००२-२००३ अपील।

श्रीमान,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यहकि अपीलीय न्यायालयों की आज्ञायें कानूनन सहीनहीं हैं।

(२) यहकि अपीलीय न्यायालयों ने प्रकरण के स्वरूप एवम् कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा।

(३) यहकि अपीलीय न्यायालयों के समक्ष प्रार्थी की ओर से जो आपत्तियां उठाई गईं थीं उन पर समुचित विचार किये बिना आदेश देने में भूल हुई है।

(४) यहकि तहसील न्यायालय की आज्ञा सहमति के आधार पर पारित की गई थी। कानूनन सहमति की आज्ञा के विरुद्ध अपील वर्जित है इस कानूनी स्थिति पर विचार किये बिना आदेश देने में भूल हुई है।

(५) यहकि अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष प्रतिप्रार्थी की ओर

---- २

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-1494-III/06 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1/8/16	आवेदक अभि० श्री एस० के० अवस्थी उप०। आवेदक अभि० ने अपने तर्क में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक की विलंब क्षमा धारा-5 के आवेदन पर बिना सुने एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया है और बिना सुने ही धारा-5 का आवेदन निरस्त कर दिया गया है। अतः उनके द्वारा यह निवेदन किया है कि प्रकरण को धारा-5 का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रकरण का निराकरण गुण दोष पर किया जावे। 2- प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया अधीनस्थ न्यायालय का आदेश सही है इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	[signature]

[कृ. प. उ.